

प्रेस नोट                      जनपद                      रामपुर

दिनांक 21.11.2021

twitter-@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram-@rampurpolice

थाना सिविल लाइन:-20 हजार रूपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद में इनामी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर डा0 संसार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर, रामपुर के कुषल नेतृत्व में आज दिनांक 21-11-2021 को थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा 20000 रूपये के इनामी अभियुक्त संजीव कुमार पुत्र चंदरसेन निवासी मऊ देहात काजीपुरा थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद को 01 अद् नाजायज तमंचा 12 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 12 बोर के साथ फोटो चुंगी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त संजीव कुमार द्वारा वादी श्री सन्तराम निवासी नुसरतनगर थाना शहजादनगर से बिल्लिंग कान्ट्रेक्ट मेटिरियल सप्लायर का कारोबार करने के नाम पर रकम ले लेना, वापस मांगने पर न देना, अमानत में ख्यानत कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिनांक 06-08-2019 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पर मु0अ0सं0-621/2019 धारा 323,406,506 भादवि तथा मा0 न्यायालय के आदेश की अवेहलना करने के सम्बन्ध में दिनांक 28-08-2020 को थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0-245/2020 धारा 174ए भादवि पंजीकृत हुआ था। अभियुक्त संजीव कुमार उक्त दोनों अभियोगों में लगातार वॉछित चल रहा था।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा उक्त अभियुक्त पर 20 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संजीव कुमार पुत्र चंदरसेन निवासी मऊ देहात काजीपुरा थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी-

01 अद् नाजायज तमंचा 12 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 12 बोर।

आपराधिक इतिहास-

गिरफ्तार अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही-

मु0अ0सं0-414/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० हरेन्द्र कुमार,
- 2-हे०का० 468 लोकेष,
- 3-हे०का० 09 डालचन्द,
- 4-कां० 192 लोकेन्द्र।